



मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहाय क कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 605/2024

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. सुभाषचन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चक 4 डीएलपी वार्ड नम्बर 11 किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. रचना पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी चक 4 डीएलपी वार्ड नम्बर 11 किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. गुरचरण सिंह पुत्र हरिसिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 डीएलपी वार्ड नम्बर 11 किकरवाली तहसील संगरिया।
2. गुरतेज सिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 10 चक 5 एमएमके तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन जाति जटसिख निवासी चक 5 एमएमके वार्ड नं. 10 किकरवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. सुखविन्द्र हिस पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एमएमके वार्ड नं. 10 किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. हरजिन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एमएमके वार्ड नं. 10 किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. चन्द सिंह पुत्र ज्ञान जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. जसपाल सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
8. जसवन्त सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 डीएलपी वार्ड नम्बर 11 किकरवाली तहसील संगरिया।
9. तेज कौर पत्नी गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एमएमके वार्ड नम्बर 10 किकरवाली तहसील संगरिया।
10. प्यारा सिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एमएमके वार्ड नम्बर 10 किकरवाली तहसील संगरिया।
11. बख्तावर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह चक 4 डीएलपी वार्ड नम्बर 11 किकरवाली तहसील संगरिया।
12. बलजीत कौर पत्नी अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
13. भोलासिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
14. सम्पूर्ण सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया।
15. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लीलावाली तहसील संगरिया।
16. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा संगरिया तहसील संगरिया।
17. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
18. समरजीत कौर पुत्री स्व. श्री गुरबचन सिंह पत्नी बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढोलनगर
19. कौरसिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख चक 4 डीएलपी ढाणी किकरवाली तहसील संगरिया।

प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक :- 25.2.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र सिंह सिद्ध वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप सिंह संरा वकील प्रतिवादी 2, 10, 18 एवं श्री विवेक बुढानियां वकील प्रति.स. 19 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- 4 डीएलपी

1. सुभाषचन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट सा. आबाद 4 डीएलपी किकरवाली राहिन एसबीआई शाखा लीलावाली की कब्जा काश्त भूमि :-

कलक्टर एवं
अधिकारी
संगरिया



प.न.	मु.न.	किला नं.
149/197	38	22,23/0.506
149/198	49	1,2,3/0.759 है.

2. रचना पत्नी पवन कुमार जाति जाट सा. नैणावाली ढाणी चक 4 डीएलपी किकरवाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
149/198	49	8,9,10,11,12/1.265 नहरी

3. कौर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख सा. 4 डीएलपी किकरवाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
148/198	50	6,7/0.506, 14/0.084, 15/0.085,

4. गुरतेज सिंह, प्यारासिंह पिरामसिंह हि. 1/2 बहिव जाति जटसिख सा. चक 5 एमएमके किकरवाली (गुरबचन सिंह पुत्र रामसिंह, तेजकौर पत्नी गुरबचन सिंह फौत) हरजिन्द्र सिंह, बलजिन्द्रसिंह, सुखविन्द्रसिंह, सिमरजीत कौर पि. गुरबचन सिंह हि. 1/2 बहिव जाति जटसिख सा. बीकानेर की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
148/198	50	9,12,13,18,19/1.265, 8/0.084,

5. गुरबचन सिंह पुत्र हरिसिंह हि. 0.253, बख्तावर सिंह हि. 0.083 है. जसवन्त सिंह हि. 1.013 है. पि. गुरबचन सिंह जाति जटसिख सा. लीलावाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
148/198	50	2,4,5/0.759, 16,17/0.506, 8/0.084,

6. चन्द सिंह (फौत कब्जा वारिसान) सम्पूर्ण सिंह पि. ज्ञान सिंह बहिव जाति जटसिख सा. लीलावाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
148/198	50	3/0.253, 8/0.085, 14/0.169, 15/0.168,

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/89 दिनांक 12.01.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋण काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.2.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
मुहयक केसरी सिंह
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया